लखीमपुर खीरी नरसंहार

रिपोर्ट

(December 2021)

देश पधर तथ्य खोज टीम

Democratic Rights Organisations

Team Members

Association For Democratic Rights (AFDR) Punjab
Prof Jagmohan Singh,General Secretary ,Narbhinder,Advocate NK Jeet, Pritpal Singh

People's Union for Civil Liberties (PUCL)
Seema Azad

The Committee for Protection of *Democratic Rights* (CPRD) Tamil Nadu
Gopal Sundarajan, ManuAkavoor

Association For Democratic Rights (AFDR) Haryana
Dr. Sukhdev Hundal

Krantikari Lok Adhikar Sangathan (Uttar Pradesh)
Md Faisal

Parivartankami Chhatra Sangthan (Uttar Pradesh)
Kamlesh

Dr. Navsharan Singh: Writer and Activist Delhi

*भूमिका

3 अक्टूबर 2021 के दिन क्षेत्र के कई जिलों से किसान तिकुनिया में प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए थे यहां पर गृह राज्य मंत्री तथा खीरी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद अजय मिश्रा टेनी तथा उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने साथ लगते गाँव में एक कार्यक्रम में शामिल होने आना था। देश में जारी किसान आंदोलन में किसान संगठनों द्वारा आह्वान किया हुआ था कि सत्ताधारी पार्टी के मंत्रियों को प्रत्येक जगह काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शित किया जाए तथा इस क्षेत्र के किसान यह ही कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, कुछ दिन पहले ही जिले के पलिया नगर में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा काले झंडे दिखाए जाने पर अजय मिश्रा टेनी ने धमकी भरा भाषण देते हुए किसानों को कहा था "सुधर जाओ, नहीं तो हम आप को सुधार देंगे, दो मिनट लगेंगें केवल"। राज्य मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री के 3 अक्तूबर के दौरे के बारे में पता चलने पर, किसानों ने प्रदर्शन करने तथा उन्हें काले झण्डे दिखाने का निर्णय लिया था। किसान बड़ी संख्या में लामबंद होना शुरू हुए तथा नेतृत्व ने 3 अक्तूबर के लिए कार्यक्रम की घोषणा की जिसके अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से हेलीपैड पर कब्जा कर, तिकुनिया में उप मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया जाए। किसानों की लामबंदी तथा निर्धारित योजना का अच्छी तरह प्रचार किया गया तथा कुछ दिन पहले ही तैयारियां शुरू हो गईं। 3 अक्तूबर के दिन, प्रदर्शन के अंत में जब किसान रैली का समापन कर उस जगह से वापिस जा रहे थे, तीन तेज रफ्तार एस यू वी गाड़ी जोकि अजय मिश्रा टेनी के परिवार से संबंधित थीं, उस तंग सड़क पर आती हैं जिस पर किसान चल रहें थे तथा किसानों को कुचल देतीं हैं। चार किसान तथा एक पत्रकार इस हमले में मारे जाते हैं, जबकि अन्य बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। साथ ही तीन बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी मौत हो जाती है। मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि अशीष तथा उसके आदमियों ने जानबूझकर किसानों पर अपनी एसयूवी गाड़ी चढ़ा दी। टेनी तथा आशीष ने इस आरोप का खण्डन किया तथा बहुत से टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि उस रात वे घटना वाली जगह पर मौजूद नहीं थे। अजय मिश्रा ने प्रदर्शनकारी किसानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं तथा एसयूवी के ड्राइवर की लीचिंग (समूहिक हिंसा) का आरोप लगाया। उसने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों के काफिले पर पत्थराव किया जिसके कारण कारें नियंत्रण से बाहर हो गईं तथा यह दुर्घटना हुई।

इस घटना की छानबीन करने तथा इस नरसंहार के पीछे के सभी तथ्यों की जांच करने के लिए, एक 11 सदस्यीय तथ्य खोजकर्ता (Fact Finding Team) टीम 28 से 30 अक्टूबर तक इस क्षेत्र में गई। टीम ने घटना स्थल का दौरा किया, स्थानीय लोगों के साथ मीटिंग की, किसानों के परिवारों, वकीलों, प्रत्यक्षदर्शी से मिली जिसमें सीपीसी की धारा 164 के अधीन अपने ब्यान दर्ज करवाने वाले भी शामिल थे, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध रिपोर्ट तथा वीडियों तक पहुँच बनाई। यह रिपोर्ट इस नरसंहार की पृष्ठभूमि, घटनाक्रम तथा उसके बाद जो हुआ, उसकी एक रूपरेखा पेश करती है। तथ्य खोज के निष्कर्ष रिपोर्ट के अंतिम भाग में दर्शाए गए हैं।

खीरी क्षेत्र - एक संक्षिप्त परिचय

खीरी जोकि अवध क्षेत्र का सीमांत जिला है, प्रशासनिक तौर पर निघासन, गोला गोकर्ण नाथ, मोहम्मदी, लखीमपुर,धौरहरा तथा पलिया नामक 6 तहसीलों में बंटा हुआ है। अजय मिश्रा 2019 में लगातार दूसरी बार इस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद बना। अजय मिश्रा की अपनी तहसील तथा गांव सहित इस ग्रामीण क्षेत्र के मानवीय विकास सूचकांक बहुत ही दयनीय स्थिति दर्शाते हैं।

खीरी जिले की शहरी आबादी 11.5% है। लगभग 35 लाख की कुल ग्रामीण आबादी 15 समुदायिक विकास खंडों में फैली हुई है। जिले में 995 ग्राम पंचायत तथा 1794 राजस्व गांव हैं जिनमें से 1706 गाँव आबाद तथा 88 वीरान हैं। निघासन सबसे अधिक जनसंख्या वाला समुदायिक विकास खंड है जिसकी आबादी लगभग 3 लाख है। जिले का लिंगानुपात 894 है जोकि राज्य लिंग अनुपात(912) से कम है।

खीरी जिले में श्रम बल सबसे अधिक फसल तथा पशु उत्पाद (81.8%) के क्षेत्र में लगा हुआ है तथा औद्योगिक क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। चीनी तथा चीनी उद्योग के उप उत्पाद जैसे कि गुड़, अल्कोहल तथा अन्य उत्पाद पलिया कलां, संपूर्ण नगर, गोला, खांपडिया, बेलरायन, तथा अजबापुर में स्थित बड़ी औद्योगिक इकाइयों में पैदा होते हैं। लेकिन चीनी का उत्पादन एक मौसमी उद्योग है तथा चीनी मिलें केवल नवंबर से मार्च के महीनों के बीच कार्य करती हैं। इस प्रकार यह पूरा वर्ष रोजगार के अवसर प्रदान नहीं कर सकता।

खीरी जिले में 40% आबादी निरक्षर है। केवल 60.56 प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ, जोकि राज्य की औसत साक्षरता 67.7% दर से नीचे है, साक्षरता में खीरी का राज्य के 75 जिलों में से 61वां स्थान है। शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर 71% तथा ग्रामीण क्षेत्र में यह 59% से भी नीचे है जिससे शहरी व ग्रामीण साक्षरता दर में गहरा अन्तर स्पष्ट हो जाता है। महिला साक्षरता भी काफी कम है; तथा पुरुष-महिला साक्षरता दर में लगभग 20% का अंतर है। अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर बहुत ही नीचे है। जिले के 275 गांवों में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। लगभग 150 गांवों के बच्चों को माध्यमिक विद्यालय तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। जिले के 894 गांवों के विद्यार्थियों को डिग्री कॉलेज तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करनी पड़ती है।

इसी प्रकार जिले के 1794 गांवों में से 1699 गांवों में कोई हस्पताल नहीं है (एलोपैथिक या परंपरागत) तथा 1638 गाँव ऐसे हैं जो पब्लिक हेल्थ सेंटर की सुविधाओं से भी वंचित हैं। 688 गांवों के लोगों को अस्पताल तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ तक की 431 गांवों के लिए नजदीकी पब्लिक हेल्थ सेंटर (PHC) 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर है ।

निघासन तहसील क्षेत्र यहाँ से 2012 में अजय मिश्रा ने विधानसभा चुनाव जीता था, में साक्षरता दर केवल 49.89% (महिला- 39.44% तथा पुरुष- 59.25%) है तथा यह जिले के तीन सबसे पिछड़े समुदायिक विकास खंडों में से एक है।

अजय मिश्रा का गांव बनवीरपुर निघासन तहसील के अंतर्गत आता है। बनवीरपुर की जनसंख्या 5578 है। इसमें से 47.1% महिला जनसंख्या है। गाँव की साक्षरता दर 46.1% है। महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर 64.63% तथा राज्य महिला साक्षरता दर 57.2% के मुकाबले मात्र 16.8% है। गांव में दो माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय हैं तथा एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है। लेकिन ये गुणवत्तापूर्ण

शिक्षा देते प्रतीत नहीं होते। गांव में सिखों द्वारा संचालित कुछ संस्थान हैं जैसे कि गुरु नानक देव सिख अकैडमी। नजदीकी डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सभी 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हैं। पब्लिक हेल्थ सेंटर गाँव से 5 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित है तथा कोई भी अस्पताल नहीं है। गाँव की पूरी कार्यशक्ति का 75.23% कृषि संबंधी कार्यों में लगा हुआ है। निघासन तहसील तथा खेरी जिले की कार्य शक्ति भी इसी प्रकार से मुख्यतः कृषि कार्यों में लगी हुई है।

लखीमपुर में सिक्ख किसान

2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 6,43,500 सिक्ख जनसंख्या है। इसमें से 94,388 सिक्ख खीरी जिले में हैं। वे खीरी की जनसंख्या का 2.63 प्रतिशत बनते हैं तथा लगभग पूरे जिले में फैले हुए हैं। सिक्ख किसी भी नगर में बहुसंख्यक नहीं हैं लेकिन फिर भी क्षेत्र की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं।

भारत सरकार द्वारा विभाजन पश्चात के वर्षों में क्षेत्र के बाहर से लोगों को यहाँ आकर रहने तथा भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के पहले, उत्तर प्रदेश के बरेली, पीलीभीत, बहराइच तथा लखीमपुर खीरी जिलों तथा उतराखंड के उधम सिंह नगर व नैनीताल जिलों से निर्मित तराई का यह क्षेत्र विस्तृत जंगल ही हुआ करता था। सरकार द्वारा भूमि तीन वर्गों को आवंटित की गई- पश्चिमी पाकिस्तान से आए सिक्ख शरणार्थियों को उनकी जमीनें वहाँ रह जाने की एवज़ में, कुमाऊं क्षेत्र के भूतपूर्व फौजियों को तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1940वें के स्वतंत्रता सेनानी को। तत्पश्चात बहुत से किसान पंजाब से यहां आ गए क्योंकि तराई के इस क्षेत्र में जमीन पंजाब से सस्ती थी। उन लोगों के अतिरिक्त जिन्हें जमीन आवंटित की गई थी, भूमिहीन निम्न जातियों से राय सिख तथा मजबी सिख तेराई के खेतों में मजदूरों के रूप में काम करने के उद्देश्य से यहाँ आ बसे। जंगल निवासी बुक्सा तथा थारू जनजातीय लोगों से ऐसे किसानों द्वारा जमीनें खरीदकर उसे कृषि योग्य बनाया गया जिनके पास आधुनिक ढंग से खेती करने के साधन व ज्ञान था। स्थानीय जनजाति तथा गैर जनजातिय समुदायों से भूमि हस्तांतरण योजनागत ढंग से न होने के कारण बहुत ही कम कीमतों पर हुआ। 1951 तथा 1961 के बीच उत्तर प्रदेश में सिक्ख आबादी 1,97,612 से बढ़कर 2,83,737हो गई।

भूमि संबंध

तराई क्षेत्र का किसान संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। यद्यपि यह ठीक ढंग से लिखित इतिहास तो नहीं है, परन्तु कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट यह संकेत जरूर देतीं हैं कि भूमिहीनों की जमीन पर अधिकार के लिए लड़ाई, आन्दोलनों का मुख्य मुद्दा रहा है। 1960 के दशक में हुए प्रथम संघर्ष, सरकार द्वारा तराई क्षेत्र में लाए गए शरणार्थियों ने किये जिन्हें सरकारी वायदे के विपरीत जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं मिला था। 1970 के दशक में सीलिंग सीमा से अधिक जमीन के पुनः वितरण के लिए संगठित संघर्ष छेड़े गए। ये संघर्ष आमतौर पर बड़े जमीदारों के भाड़े पर खरीदे गए स्थानीय गुंडों/ बाहुबलियों द्वारा सख्त दमन के बल पर दबा दिए जाते थे। 1980 के मध्य में, एक बार फिर भूमिहीनों द्वारा ऐसी जमीन जिसके मालिकाना का कोई रिकॉर्ड नहीं था, पर मालिकाना अधिकार लिए आंदोलन उठे। आंदोलन में जमीन सीलिंग कानून लागू करने तथा अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों में वितरित करने की भी मांग उठी। 1988 में

हजारों भूमिहीन लोगों द्वारा क्षेत्र में कोटखरा की जंगली जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इन लोगों को पुलिस, वन विभाग तथा पीएसी के हाथों कैद, प्रताड़ना तथा लैंगिक हिंसा के रूप में भारी दमन का सामना करना पड़ा। से संघर्ष पीयूडीआर की रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं।

यदि भूमि प्रश्न की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी का इतिहास अशांत व मुश्किलों भरा ही रहा है। पुराने समय में यह क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ था तथा थारू जनजाति के लोग यहां पर बसे हुए थे। जैसे कि एक महत्वपूर्ण लेख में सुमांता बैनर्जी ने संकेत किया है कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा क्षेत्र के पूर्वी जिलों से भूमिहीन किसानों को लखीमपुर आने का न्योता दिया गया ताकि यहां पर जंगली जमीन साफ कर जुताई कर सकें तथा उनके द्वारा जोती गई सैकड़ों एकड़ जमीन का उन्हें मालिक बनाने का वायदा किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जमीन के मूल निवासी थारू अपने परंपरागत जंगली निवास को छोड़ने के लिए विवश हुए। इसी दौरान, पूर्वी उत्तर प्रदेश के वे प्रवासी जिन्होंने यहाँ आकर जंगली जमीन को साफ कर खेती योग्य बनाया था, उनमें से बहुत कम को वायदे के अनुसार जमीन मिली। इसमें से कुछ नयी आबाद की गई कृषि भूमि पर पडोसी क्षेत्र के धनी जमींदारों द्वारा सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर या जबरन कब्जा कर लिया गया। प्रवासी किसानों को जमींदारों के लिए बंटाईदार या कृषि मजदूरों के रूप में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा अन्य खेती फार्म ऐसे उद्योगपतियों को सौंप दिए जोकि गन्ने की पैदावार में निवेश करते थे।

सम्प्रदायिक विभाजन

हाल के वर्षों में, सत्ताधारी वर्ग भूमि प्रश्न पर लोगों को सम्प्रदायिकता के आधार पर बांटने के लिए, विभाजनकारी सम्प्रदायक राजनीति का इस्तेमाल करते रहे हैं। जैसा कि पिछले सात दशकों की राज्य की नीतियों से स्पष्ट है कि सत्ताधारी ताकतें भूमि सुधार के वायदे को पूरा करने तथा भूमिहीनों व काश्तकारों में जमीन बांटने में असफल रही हैं। भूमि सुधार, जिनका उद्देश्य काश्तकारों को सशक्त बनाना था, उसने उल्टे जमीदारों की शक्ति में वृद्धि की तथा किसानों को जमीन से बाहर कर दिया। भूमिहीन दलितों, आदिवासियों तथा अन्य वंचित वर्गों में जमीन के लिए वास्तविक भूख है। सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधियों द्वारा इसका ही इस्तेमाल भूमिहीनों तथा भूमि के मालिक समुदायों के बीच सम्प्रदायक खाई पैदा करने के एक अवसर के रूप में किया जा रहा है। जैसा कि हमने तथ्य खोज की प्रक्रिया में देखा, आशीष मिश्रा मोनू उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों के लिए टिकट की चाहत रखता है तथा वह धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक विषमताओं को इस्तेमाल कर, उम्मीदवारी के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहा है। क्षेत्र में दीवारों व बैनरों पर लिखा मिलता है “बाहरी भगाओ, प्रांतीय लाओ” ताकि तथाकथित 'बाहरी लोगों' के विरूद्ध भावनाएं पैदा की जा सकें। क्षेत्र का वर्तमान विधायक शशांक वर्मा है जोकि पटेल है तथा जिसके पिता 2017 में चुनाव जीते थे मगर 2018 में उनकी मृत्यु हो गई। उप चुनाव में उसका पुत्र उसी सीट से जीत गया। यह परिवार गोला गोकर्ण नाथ तहसील के भीखमपुर गाँव से है। मोनू मिश्रा टिकट के लिए समर्थन इसी धरातल पर जुटा रहा है कि यह परिवार निघासन से स्थानीय नहीं है जैसा कि मोनू स्वयं है। वह स्थानीय के तौर पर अपनी उम्मीदवारी का दावा खुले तौर पर यह कहते हुए करता है कि स्थानीय के पक्ष में बाहरी को बाहर कर दिया जाना चाहिए।

स्थानीय तथा बाहरी की विषमता का एक अन्य विभाजनकारी पहलू भी है। सिक्ख किसान जोकि 1940 के दशक से यहाँ जमीन जोत रहें हैं तथा स्वयं को इस मिट्टी की संतान मानते हैं, उन्हें 'बाहरी' कहा जा

रहा है। मोनू पर यह कहने का आरोप लगाया जाता रहा है कि वह 'पगड़ी-वोट' पर निर्भर नहीं है। तथा यदि वह सत्ता में आता है तो वह सिक्ख किसानों से अतिरिक्त जमीन लेकर भूमिहीनों में उसी तरह बांट देगा "जिस तरह मोदीजी भूखों को अनाज बांट रहे हैं"। जिन स्थानीय सिक्ख लोगों से हमने बात की उन्होंने दोष लगाया कि उनके खिलाफ यह भावना निर्मित की जा रही है कि सिक्खों ने बड़ी मात्रा में जमीन इक्कठी कर ली है जिससे स्थानीय लोग भूमिहीन व गरीब हो गए हैं। उनके बारे में कहा जाता है "उनके पास बड़ी-बड़ी कारें हैं तथा वे हावी होना चाहते हैं"। स्पष्ट है कि भूमिहीनों को जमीन देने के सत्ता के अधूरे वायदे को अब यह कह कर नया रूप दिया जा रहा है कि बाहरी किसानों को क्षेत्र से बाहर निकाल, उनकी जमीन छीन कर भूमिहीनों को दी जाएगी। इसके पीछे लोगों को आपस में बांटने तथा सिक्खों के विरूद्ध नफ़रत पैदा करने का सम्प्रदायक उद्देश्य स्पष्ट दिखता है। इस प्रकार यदि 1960 से लेकर 1980 के दशकों के आरम्भिक भूमि संघर्षों ने किसानों को भूमि सुधार के लिए लामबंद किया था, तो वर्तमान में यह लामबंदी संप्रदायिक वर्गीकरण व घृणा के इर्दगिर्द हो रही है।

जिन सिक्ख किसानों ने इस जमीन को उत्पादक तथा खेती योग्य बनाने के लिए वर्षों तक परिश्रम किया, उनकी अपनी चुनौतियां तथा महत्वकांक्षाएं हैं। जबकि अधिकतर किसान छोटे या मझोले हैं लेकिन वे गन्ना, चावल तथा गेहूं की खेती व रिकॉर्ड पैदावार के लिए मशीनों पर आधारित कृषि तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं। परंतु साथ ही वे बढ़ते हुए ऋण, खेती लागत में वृद्धि तथा उनके उत्पादों की गिरती कीमतों के संकट का सामना कर रहे हैं। यहाँ मंडियों की कमी है तथा राज्य द्वारा भी उनसे फसलें खरीदी नहीं जाती। किसानों को अपनी फसलें एमएसपी से कम कीमतों पर निजी व्यापारियों को बेचनी पड़ती है। गन्ना किसानों को महीनों से लेकर वर्षों तक उनके बकाये का भुगतान नहीं किया जाता। देश के बाकी हिस्सों की तरह इस क्षेत्र में भी कृषि संकट एकदम स्पष्ट है। इसलिए जब पंजाब तथा हरियाणा के किसान देश के बहुसंख्यक किसानों द्वारा अपनाई हुई कृषि व्यवस्था को बदलने के सरकार के प्रस्ताव के विरुद्ध गुस्से में भर उठे, तो इस क्षेत्र के किसान भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में भी स्थानीय किसान नेतृत्व का उदय हुआ, संयुक्त किसान मोर्चा की इकाइयों का गठन हुआ तथा यहाँ भी किसान आंदोलन का प्रभाव बढ़ने लगा। बड़ी संख्या में किसान आन्दोलन में शामिल हुए तथा इसमें सभी धर्मों के किसान शामिल थे। स्पष्टतः यह बात सरकार को रास नहीं आई जोकि इस संघर्ष को विभिन्न तरीकों से अपराधिक रंग देने की कोशिश कर रही थी। इन तरीकों में आन्दोलन में सक्रिय नेताओं तथा सामान्य किसानों पर झूठे आपराधिक मुकदमें थोपना तथा किसानों के विरूद्ध कठोर 'गुंड़ा कानून' उपयोग करना तक शामिल थे।

आन्दोलन को आपराधिक रंगत देने के साथ ही, राज्य सरकार के अधिकारियों तथा सत्ताधारी अभिजात वर्ग किसानों को खालीस्तानी अलगाववादी कहकर उन्हें तथा इस आन्दोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। सिक्ख किसान खालीस्तानी अलगाववादीयों के समर्थक हैं; दरअसल ऐसा वक्तव्य है जिसे जारी किसान आन्दोलन को अपराधिक रंगत देने तथा किसानों के विरुद्ध नफ़रत व हिंसा भड़काने के लिए बार बार दोहराया गया। क्षेत्र में 1980 से लेकर 1990 के दशक के आरम्भिक दौर तक सिखों के फर्जी मुकाबलों का काला इतिहास रहा है। 1991 की सर्व विदित एक भीषण घटना में, साथ लगते पीलीभीत क्षेत्र में, पुलिस द्वारा सिख श्रद्धालुओं से भरी एक लक्जरी बस को रोक कर, 11 पुरुष यात्रियों को नीचे उतरने के लिए मजबूर किया गया। कुछ घंटों बाद उन 11 लोगों के मृत शरीर नजदीक के जंगल में मिले।

पुलिस ने दावा किया कि 11 खालिस्तानी मुकाबले में मारे गए। उन्होंने ये भी दावा किया कि बस में सवार कुछ किसानों पर आपराधिक मुकदमें थें तथा उनके पास हथियार थे। पीड़ित परिवार ने लम्बी तथा मुश्किलों भरी न्यायिक लड़ाई लड़ी तथा हत्या के 25 वर्ष बाद, अप्रैल 2016 में, न्यायालय द्वारा पुलिस कर्मियों को "फर्जी मुकाबले" का दोषी पाया गया। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने केस में छानबीन की तथा कहा कि पुलिस द्वारा इन हत्याओं के पीछे उद्देश्य "आतंकवादियों" को मारने के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करना तथा अवार्ड हासिल करना था। विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा 57 पुलिस कर्मियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई। यह फर्जी पुलिस मुकाबला (अत्यधिक संप्रदायिक) स्थानीय मीडिया में सिक्ख आतंकवाद के बारे में रिपोर्ट छपने के बाद सामने आया तथा उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह द्वारा पुलिस को आतंकवाद के साथ सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए थे जिसने इस प्रकार के कृत्य के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया था।

अजय मिश्रा तथा उसका पुत्र एक बार फिर झूठ फैला रहें हैं तथा किसानों के विरुद्ध नफरत भड़का रहें हैं। मंत्री मिश्रा कहता हुआ सुना गया कि किसानों के नाम पर खालिस्तानी सक्रिय थे तथा किसान आंदोलन में बब्बर खालसा के अलगाववादी शामिल हो चुके थे। वह अपने वक्तव्य में कहता है कि बब्बर खालसा जैसे बहुत से आतंकवादी संगठन कानून व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने के लिए किसान आन्दोलन में शुरूआत से ही सक्रिय थे। आज के दिन तक सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे कोई साक्ष्य मौजूद नहीं हैं जो किसान आन्दोलन का सम्बन्ध अलगाववादी संगठनों से दिखाते हो। परन्तु अलगाववादियों की घुसपैठ का भय पैदा कर तथा किसानों के भेष में अलगाववादी होने की अफवाह फैलाकर, अजय मिश्रा क्षेत्र में नफरत का वातावरण निर्मित कर रहा है तथा किसान आन्दोलन को आपराधिक रंग दे रहा है।

लखीमपुर खेरी नरसंहार घटनाक्रम का विवरण

20 सितंबर:

- सीतापुर महापंचायत: कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए जारी देशव्यापी किसान आंदोलन को बल देने के उद्देश्य से संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा सीतापुर जिले के आरएमपी इंटर कॉलेज में महापंचायत का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में पुरूष व महिलाओं ने भाग लिया तथा एक अनुमान के अनुसार सीतापुर, शाहजहांपुर, लखनऊ, बरेली, हरदोई, बाराबंकी, बलिया, पीलीभीत, बहराइच तथा लखीमपुर खीरी से लगभग 25000 से 30000 किसान इसमें शामिल हुए। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत रैली में शामिल हुए तथा सभा को सम्बोधित किया। यह महापंचायत क्षेत्र में किसानों की अब तक की सबसे बड़ी सभा थी। राज्य मंत्री को यह बात ही रास नहीं आई।

25 सितंबर:

- क्रांतिकारी किसान यूनियन (केकेयू) तथा भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के सदस्यों द्वारा प्रदर्शन किया गया तथा गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को पलिया में काले झंडे दिखाए गए।

- प्रत्युत्तर में, टेनी ने उनका मजाक उड़ाते हुए इशारा किया तथा अपनी चलती कार में से अंगूठा नीचे (थम्ब डाऊन) करके दिखाया।

- इससे पहले, दिन के समय, प्रदर्शनकारियों की ओर संकेत करते हुए, टेनी भारतीय जनता पार्टी के कारसेवकों की एक सभा को संबोधित किया। वह कहते हुए सुना जाता है "मैं ऐसे लोगों से केवल एक बात कहना चाहता हूं: अपने आप सुधर जाओ, नहीं तो हम तुम्हें 2 मिनट में सुधार देंगे। मैं केवल एक मंत्री नहीं हूँ। जो मुझे जानते हैं, वे यह भी जानते होंगे कि मैं चुनौतियों से भागता नहीं हूँ। तुम्हें लखीमपुर छोड़ना होगा"।

- किसान नेता तजिंदर सिंह विर्क ने टेनी की धमकी के जबाब में एक वीडियो जारी करते हुए कहा 'हम किसान हैं। जब तुम चाहो, यहाँ तुम चाहो, हम पहुंच जाएंगे'। विर्क उत्तर प्रदेश से संयुक्त किसान मोर्चा का संयोजक, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का राष्ट्रीय कोर कमेटी मेंबर तथा किसानों के संगठन, तराई किसान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है।

- इसके बाद, संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा अजय कुमार टेनी तथा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्या के सरकारी योजनाओं के उद्घाटन के लिए लखीमपुर खीरी के 3 अक्तूबर के प्रस्तावित दौरे के समय विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया। प्रदर्शन में तिकुनिया में काले झण्डे दिखाए जाने थे।

2 अक्तूबर

उप मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी में, उत्तर प्रदेश पुलिस तिकुनिया बाईपास की घेराबंदी कर लेती है। प्रदर्शन स्थल उस हेलीपैड के पास ही था यहां उस दोपहर बाद कार्यक्रम के लिए उपमुख्यमंत्री मौर्या का हेलीकॉप्टर उतरना था। परंतु वहाँ प्रदर्शनकारी किसानों वाले रास्ते के अतिरिक्त कार्यक्रम में पहुंचने के लिए एक अन्य रास्ता भी था।

- 2 अक्तूबर को लखनऊ में संशोधित अधिसूचना (नीचे देखें) जारी की गई जिसके अनुसार उपमुख्यमंत्री मौर्या 3 अक्तूबर की लखनऊ से लखीमपुर खीरी की यात्रा अब हैलिकॉप्टर के माध्यम से नहीं करेंगे। बल्कि वे सड़क मार्ग से कार द्वारा आऐंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा किसानों को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई जबकि पुलिस प्रस्तावित प्रदर्शन के बारे में भलीभाँति सुचेत थी।

3 अक्टूबर

तिकुनिया बाईपास पर घेराबंदी होने के कारण, अपने वाहनों को सड़क (जोकि वाहनों के आवागमन के लिए बंद की गई थी) के दोनों तरफ खड़ा कर, किसान प्रदर्शन स्थल तक पैदल चलकर पहुंचने के लिए पिछले रास्ते का प्रयोग किया।

सुबह 9:30 बजे

किसानों का फेसबुक लाइव शुरू होता है। किसानों को मुख्य सड़क को खाली रखने की अपील करती घोषणाएं बार बार सुनी गईं ताकि आपातकालीन यातायात के आवागमन में कोई रुकावट पैदा ना हो। पलिया, भीरा, बिजुआ, खजूरिया तथा सम्पूर्णा नगर से आए किसान तिकुनिया में इकट्ठे हुए। बड़ी संख्या में पुलिस बल उस स्थल पर मौजूद है तथा प्रदर्शनकारी नारे लगाते व काले झंडे हिलाते हुए शांतिपूर्वक बैठे तथा चलते हुए दिखाई दे रहे थे।

दोपहर 12:30 बजे

स्थानीय किसान नेता, गुरनामजीत मांगट ने उस मैदान में प्रवेश करने की घोषणा की यहाँ हेलीपैड बनी हुई थी।

दोपहर 1:15 बजे

-अन्य वरिष्ठ किसान नेता, तेजिंदर सिंह विर्क ने इस मार्च का नेतृत्व किया तथा सैकड़ों प्रदर्शनकारियों द्वारा हेलीपैड पर कब्जा कर लिया गया। ट्रैक्टर की ट्राली का प्रयोग कर अस्थायी मंच बनाया जाता है।

- स्थानीय प्रशासन की टीम जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल थे, किसानों से बातचीत करने के लिए हेलीपैड वाले मैदान में पहुंचती है। किसान नेताओं ने प्रशासन को बताया कि वे मैदान खाली नहीं करेंगे तथा काले झण्डों के साथ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। दोनों पक्षों में आपसी बातचीत से निम्नलिखित सहमति बनी:

१. लखनऊ से आने वाला हेलीकॉप्टर उस हेलीपैड पर नहीं उतरेगा। अजय मिश्रा टेनी द्वारा दंगल के कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए उप मुख्यमंत्री मौर्या तथा अन्य मेहमान कार द्वारा यात्रा करेंगे तथा कार्यक्रम में अन्य मार्ग से पहुंचेंगे। वे बनवीरपुर में उस रास्ते से प्रवेश नहीं करेंगे यहाँ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं।

२. किसान हैलीपैड वाली जगह नहीं छोड़ेंगे तथा वे केवल इसी क्षेत्र में प्रदर्शन करेंगें व उस जगह नहीं जाऐंगे यहाँ मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री ने संबोधित करना था। सड़क का कुल हिस्सा जिसके दोनों तरफ बैरीकेडिंग की गई थी, लगभग 500 मीटर था। यहाँ 3000 से अधिक किसान इकट्ठे हुए थे। किसान इस बात पर सहमत हो गए थे कि वे प्रदर्शन स्थल नहीं छोड़ेंगे तथा दंगल कार्यक्रम वाले स्थान पर नहीं जाऐंगे।

३. दोनों कार्यक्रमों कुश्ती तथा प्रदर्शन के समापन का समय अलग-अलग रखा जाएगा ताकि दोनों तरह की भीड़ कहीं भी एक दूसरे से न मिले, तथा टकराव की सम्भावना से बचा जा सके।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूरी बातचीत के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा अभी भी यात्रा की संशोधित अधिसूचना की जानकारी किसान नेताओं को नहीं दी गई जिसके अनुसार उप मुख्यमंत्री मौर्या के उस हैलीपैड पर उतरने की योजना एक दिन पहले बदल दी गई थी। उसने अब लखनऊ से लखीमपुर खीरी सड़क मार्ग से आना था।

शाम 3:00 बजे

- प्रदर्शन लगभग 3 बजे समाप्त हुआ जब यह सूचना पहुंचती है कि मंत्री का कार्यक्रम जल्दी खत्म हो गया था तथा सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति चले गए थे। किसानों ने भी जाना शुरू कर दिया तथा पार्किंग स्थल से अपने वाहन लेने के लिए सड़क के उस 500 मीटर हिस्से पर आराम से चलने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लगभग 200 पुलिस कर्मचारी उस समय उस जगह मौजूद थे।

- जब किसान पैदल चल रहे थे, तीन कारें- 1 थार, 1 फार्च्यूनर तथा 1 स्कोर्पियो- अचानक तेज गति से पीछे (बनवीरपुर- तिकुनिया मार्ग) से आईं तथा प्रदर्शनकारियों को रौंद दिया। अंधाधुंध गति से दौड़ती इन कारों विशेषकर पहली दो कारों ने रास्ते पर चल रहे लगभग प्रत्येक आदमी को कुचल दिया। तजिंदर सिंह विर्क जोकि उस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था, एक पत्रकार रमन कश्यप के साथ उस सड़क पर चल रहा था।

थार ने सबसे पहले 62 वर्षीय नछत्तर सिंह को टक्कर मारी जिस से उसकी मृत्यु हो गई ।

जैसा विडियो में देखा गया और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा भी बताया गया कि एस.यू.वी. गाड़ियों ने लोगो को कुचलने के बाद वहां से फरार होने की कोशिश की । तंग सड़क के दूसरी ओर से, अचानक गुप्ता कंपनी की एक निजी यात्री बस आ गई, जिस से तेज रफ़्तार गाड़ियों का बच कर निकलना आसान न रहा । ये भी ध्यान रखने योग्य है कि सड़क का ये 500 मीटर का हिस्सा तंग और पास लगते खेतों से ऊँचा है । पिछले दिनों की बारिश के कारण, सड़क के दोनों और जल भराव हो गया था । तेज गति से फरार हो रही कारों ने सीधी टक्कर से बचने की कोशिश की, और इन्हें सड़क के किनारों की तरफ मुड़ना पड़ा, जिस से काले रंग की महिंद्रा थार एस.यू.वी., टायरों के नीचे लोगों के आने के कारण, बायीं और मुड़ी और फिसल गई।

लोगों को टक्कर मारने के बाद और गाड़ी के पलटने से पहले, दो आदमियों, (जिनकी पहचान नहीं हो सकी है) को उस गाड़ी से निकलकर भागते हुए देखा गया । पीछे से तेज गति से आ रही काले रंग की फार्च्यूनर गाड़ी, सीधी टक्कर से बचने के लिए सड़क के दायीं तरफ मुड़ गई और सड़क के एक ओर पलट गई । जैसा कि विडियो में दिखाई देता है कि लोग इस दूसरी गाडी के टायरों के नीचे भी आ गये थे। उसी समय गोलियां चलने की आवाजें सुनी गई और पुलिस को उन दो आदमियों को पकड़ने की बजाय, उनके बच कर भागने में मदद करते देखा गया ।

तीसरी गाडी स्कार्पियो, जो वहां से गुजर रही थी, सामने बड़ी में संख्या में प्रदर्शनकारियों को देख कर रुक गई । भीड़ ने इस स्कार्पियो गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और वहां से गुजरने दिया । विडियो दिखाते हैं कि स्कार्पियो धीमी गति से बस के पास से गुज़र गई । पहली दो गाड़ियाँ जो सड़क से नीचे जा गिरी थी, उन्हें पलट दिया गया ताकि उसके नीचे आये लोगो को बाहर निकला जा सके । प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गाड़ियों के पलटने के बाद ही उनमे आग लगी ।

इस दुर्घटना में, इन गाड़ियों के काफिले में सवार लोगों में से तीन घायल हो गये । कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि किसानो ने उनको कैमरे के सामने अपनी गलती स्वीकारने के लिए

कहा और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया । एक ऐसा विडियो भी है जिसमे पुलिस उनमे से एक आदमी का बयान रिकॉर्ड कर रही है ।

पुलिस ने इस घटना को रोकने, अपराधियों को पकड़ने और घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने का तुरंत कोई प्रयास नहीं किया । इस घटना में कुल 8 लोगो की मृत्यु हुई जिसमे 4 किसान , 3 बीजेपी कार्यकर्ता और 1 पत्रकार शामिल थे ।

4 किसान

नछत्तर सिंह (62), दलजीत सिंह (42), गुरविंदर सिंह (18), लवप्रीत सिंह (20)

3 बीजेपी कार्यकर्ता - श्याम सुंदर निषाद, हरी ओम मिश्रा, शुभम मिश्रा

1 पत्रकार - रमन कश्यप

लगभग 5 बजे (सायंकाल)

लखीमपुर खीरी और लखनऊ की सीमाओं को सील कर दिया गया । किसानो, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं और राजनीतिक पार्टिओं के प्रतिनिधिओं को वहां जाने से रोका दिया गया ।

पूरे जिले में इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया । (8 अक्तूबर को इसे बहाल किया गया)

पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गयी ।

लगभग 8 बजे (रात्रि)

संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में जिला मुख्यालयों पर 4 अक्तूबर के दिन विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया ।

और इस बात की भी मांग की गई कि उत्तर प्रदेश प्रशासन की बजाए, सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा इस घटना की गहन जांच की जाए ।

यह भी मांग की गई कि अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा के खिलाफ तुरंत जांच और कारवाई की जाए ।

उत्तर प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त निदेशक प्रशांत कुमार को इस घटना की जांच के लिए नियुक्त किया गया।

रात 8:30 के बाद:

मीडिया द्वारा इस घटना के बारे में अजय मिश्रा टेनी का इंटरव्यू लिया गया और कई चैनलों पर प्रसारित हुआ । जिसमे उसे यह बार बार कहते हुए सुना गया कि वास्तव में ये बीजेपी कार्यकर्ता

थे जिनकी किसानों द्वारा मार पिटाई की गई । उन पर सामूहिक हमले किए गए तथा उनकी गाड़ियों पर पत्थराव किया गया और उन्हें पलट कर आग के हवाले कर दिया गया । उसने संक्षेप में बताया कि वे भी इस घटना में किसानों की मृत्यु के बारे में जाँच करवा रहे हैं। एक जगह वह कहता है कि वे(मृतकिसान) उनके जिले से ही नहीं थे। वह आगे कहता है कि उसका बेटा, अशीष मिश्रा, सुबह 11 बजे से ही उसके परिवार द्वारा आयोजित दंगल प्रतियोगिता के कार्यक्रम में मौजूद था तथा यदि वह घटना स्थल पर किसानों के बीच होता, तो भीड़ द्वारा उसकी भी हत्या कर दी जाती।

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने निवास पर घटना के बारे में चर्चा करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई। गृह मंत्रालय तथा पुलिस अधिकारी इस मीटिंग में शामिल थे।

- एबीपी न्यूज़ चैनल द्वारा अशीष मिश्रा का इंटरव्यू लिया गया । यहां उसने कहा कि कार वास्तव में उसकी ही थी तथा ड्राइवर हरिओम भी उसी का था। उसने दावा किया कि वह उस दोपहर को प्रदर्शन की जगह से 4 किलोमीटर दूर दंगल कार्यक्रम उपस्थित था तथा उसकी कार कुछ खासहस्तियों अर्थात उपमुख्यमंत्री मौर्या को लेने के लिए भेजी गई थी।

4 अक्तूबर की सुबह:

- लखीमपुर खीरी में हुए अत्याचार के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के 9 जिलों- बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर फतेहपुर, जालौन, ललितपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गये ।

- तिकुनिया में भारी संख्या में सीमा शस्त्र बल तथा उत्तर प्रदेश पुलिस तैनात की गई । साथ ही जिले में धारा 144 लागू करने सहित इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया गया ।

- अजय मिश्रा टेनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित किया तथा यह कहते हुए शुरुआत की कि प्रदर्शन में किसानों के भेष में बहुत से असामाजिक तथा राष्ट्र विरोधी तत्व शामिल थे। उसने कहा कि भीड़ द्वारा उनके (बीजेपी) कार्यकर्ताओं की हत्या की गई थी तथा उसने सरकार से उनके परिवारों को 50 लाख रुपए हर्जाना देने की मांग की । अपने बेटे के 3 अक्तूबर को 11:00 बजे से दंगल कार्यक्रम में उपस्थित होने तथा प्रदर्शन स्थल पर होने की स्थिति में उसे किसानों द्वारा मार देने की संभावना की कहानी को दोहराते हुए उसने कहा कि यदि मेरे बेटे के घटना स्थल पर होने का एक भी प्रमाण सामने आता है, तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा ।

इंटरनेट सेवाएं स्थगित कर तथा धारा 144 लागू कर, लखीमपुर को रातों-रात एक किले में परिवर्तित कर दिया गया। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में धारा 144 जिला अधिकारियों द्वारा औपचारिक रूप से घोषित किए बिना ही लगातार एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग की जा रही है । धारा 144 का असीमित वक्त या अनुचित रूप से लंबे

समय के लिए लगाया जाना जैसा कि लखीमपुर खीरी में 3 महीनों के लिए हुआ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) तथा 21 के अधीन नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।

घटना के बाद, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मृत किसानों के परिवारों से मिलने के लिए लखीमपुर खीरी जाने का प्रयास किया । उसे तथा उसकी पार्टी के सदस्यों, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा व अजय प्रकाश लालू को लखनऊ में रोक कर हिरासत में ले लिया और लखीमपुर जाने से रोक दिया गया । प्रियंका गांधी के अनुसार पुलिस द्वारा उसे बताया गया कि धारा 144 लगे होने के कारण, वे उसे आगे नहीं जाने दे सकते । उसे सीतापुर के एक गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया गया तथा 5 अक्तूबर को अन्य 10 व्यक्तियों सहित उसे सी पी सी की धारा 151 के अंतर्गत औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

4 अक्तूबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा लखीमपुर खीरी जाने के लिए हवाई जहाज से लखनऊ की तरफ रवाना हुए। जब वे लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरे तो उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव, अवनीश अवस्थी ने एयरपोर्ट अधिकारियों को इन नेताओं को हवाई अड्डे से बाहर नहीं जाने देने के आदेश दे दिए, जबकि लखनऊ जिले के लिए इस प्रकार के कोई आदेश नहीं थे।

हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को मृतकों के परिवारों से मिलने से रोकने के लिए मेरठ में ही हिरासत में ले लिया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जैसे ही लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकले, उसे घर के बाहर ही रोक दिया गया। अन्य नेता जिन्हें धारा 144 लगी होने का हवाला देते हुए जिले में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया गया था उनमें कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, बहुजन समाज पार्टी नेता सतीश चंद्र मिश्रा तथा भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद थे। इन लोगों को मृतकों के परिवारों से मिलने के लिए जिले में प्रवेश करने की इजाज़त केवल 6 अक्तूबर को मिली।

झूठों का सिलसिला

जब 3 अक्तूबर तथा इसके पहले और बाद के घटनाक्रम को ध्यान से देखा जाता है तो इससे संबंधित गलत सूचनाओं व त्रुटियों को अनदेखा करना लगभग असंभव हो जाता है। किसान संगठनों द्वारा आयोजित शांति पूर्ण काले झंडे दिखाने के प्रदर्शन से पहले ही नहीं, इसके दौरान तथा वहशी घटना के बाद भी राज्य तथा पुलिस प्रशासन द्वारा बोले गए झूठ एकदम स्पष्ट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 थोपना तथा अन्य किसानों, नेताओं, राजनेताओं तथा पत्रकारों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने से रोकने के लिए इसकी सीमाओं को सील कर देना, न केवल लोगों के अधिकारों का उल्लंघन था बल्कि प्रशासन का संदेहास्पद कृत्य भी था।

इस तथ्य पर यदि ध्यान दिया जाए कि मुख्य दोषी अशीष मिश्रा उर्फ मोनू द्वारा घटना की शाम को ही प्रेस को ब्यान दिया गया तथा उसके पिता अजय मिश्रा उर्फ टेनी महाराज ने न केवल उस दिन मीडिया को संबोधित किया बल्कि अगली सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो स्पष्ट हो जाता है कि पूरे घटनाक्रम को एक निश्चित दिशा देने की कोशिश की जा रही थी। शांतिमय किसान प्रदर्शनकारियों की बेरहमी से हत्या की अपेक्षा बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ द्वारा हत्या की कहानी पेश की गई।यह सब कुछ एक सोचा समझा षड्यंत्र था।

पुलिस तथा प्रशासन की भूमिका

यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि 3 अक्टूबर की शाम को हुए किसानों के नरसंहार के पीछे सबसे बड़ा कारक प्रदर्शन स्थल पर किसानों को पुलिस प्रशासन द्वारा बोले गए झूठ थे। प्रदर्शन का मुख्य मकसद उप मुख्य मंत्री केशव प्रसाद मौर्या के हेलीकॉप्टर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में उतरने से रोक कर किसान आंदोलन का संदेश पहुंचाना था। परंतु किसानों को 2 अक्टूबर को जारी की गई संशोधित अधिसूचना के बारे में नहीं बताया गया जिसमें मंत्री के यात्रा कार्यक्रम में बदलाव के बारे में स्पष्ट संकेत दिया गया था। उसने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक तिकुनिया में बनी हेलीपैड पर आना था लेकिन संशोधित अधिसूचना के अनुसार, अब उसने लखनऊ से लखीमपुर खीरी सड़क के रास्ते जाना था।

हेलीपैड मैदान में किसान नेता तजिंदर सिंह विर्क तथा अन्य किसानों के साथ पुलिस प्रशासन की दोपहर 1:15 बजे से शाम 3:00 बजे तक हुई । बातचीत के दौरान भी उपरोक्त तथ्य जान बूझकर छिपा कर रखा गया। तजिंदर विर्क के अनुसार, यह पुलिस प्रशासन के साथ हुई उनकी बातचीत ही थी जिसके कारण उप मुख्यमंत्री मौर्या की यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव किया गया । उसे न तो इसकी पहले से जानकारी थी और न ही पुलिस द्वारा उसे सूचना दी गई कि मंत्री ने वहां आना ही नहीं था। जबकि यात्रा कार्यक्रम में बदलाव 2 अक्तूबर को ही कर दिया गया था।

पुलिस प्रशासन की रणनीतिक असफलता तथा अयोग्यता उन पाश्विक हिंसा के क्षणों में अत्यधिक स्पष्ट रूप से सामने आई। तथ्य खोजकर्ता टीम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकती कि अच्छी तरह सेबैरीकेड़ की हुई और पुलिस द्वारा घेराबंदी की हुई, 500 मीटर सड़क का वह हिस्सा जिस पर किसान चल रहे थे, तेज रफ्तार कारों के प्रवेश के लिए किस समय खोल दिया गया। परन्तु अनुमान है कि बैरी केडिंग लगभग 1:30 बजे किसानों तथा पुलिस की इस सहमति के बाद हटाई गई होगी कि किसान शहर में प्रदर्शनन नहीं करेंगे तथा उपमुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल की तरफ नहीं जाएंगे।

जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 500 मीटर के उस छोटे से हिस्से में 200 से अधिक पुलिस कर्मी मौजूद थे; फिर यह निर्दयी घटना कैसे हुई तथा जारी रही? प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया में घटनाक्रम की वायरल हुई वीडियो से

भी स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किए गए। इसे रोकना तो बहुत दूर की बात है। कारों को रोकने का कोई प्रयत्न न करने के साथ ही, पहली महिंद्रा थार एसयूवी कार के सड़क की एक तरफ फिसलने से पहले, इसमें से निकल कर भागते देखें गए दो व्यक्तियों को पकड़ने की पुलिस द्वारा कोई कोशिश तक भी नहीं की गई। घटना स्थल पर मौजूद बहुत से लोगों ने बताया कि दोषियों के सुरक्षित भाग निकलने के लिए एक तरह से सुरक्षा घेरा बनाते हुए पुलिस अधिकारी एक तरफ खड़े रहे।

कारों द्वारा टक्कर मारकर भागने वाली घटना के बाद भी पुलिस द्वारा कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई। पुलिस बल के पास घायल पीड़ितों के लिए कोई चिकित्सा सुविधाएं नहीं थीं और न ही उसने तुरंत कोई चिकित्सा सहायता प्रदान करने की कोशिश की। घटना स्थल के सबसे नजदीक यह सुविधा तिकुनिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में थी जिसमें एक तेज रफ्तार एसयूवी गाड़ी के नीचे आ गए घायल आदमी के लिए तो छोड़ो,एक सामान्य मरीज के लिए भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। भले ही कुछ समय पश्चात एक एंबुलेंस पहुंच गई थी । परंतु इतनी देर भी पीड़ितों की लिए जान लेवा सकती थी । इसलिए किसानों ने स्वयं ही घायल व्यक्तियों को चिकित्सा केंद्रों तथा अस्पतालों में ले जाने के लिएवाहनों का प्रबंध करना शुरू कर दिया। कुछ स्थानीय पत्रकारों ने भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता की।

बहुत से प्रत्यक्षदर्शियों ने टीम को बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो तेज रफ्तार गाड़ियों में थे तथा जिनकी घटना में मारे जाने की खबर थी, वास्तव में पुलिस को जिंदा सौंप दिए गए थे। बाद में, इस तथ्य की मंत्री मिश्रा द्वारा पुष्टि तब की गई जब 17 अक्तूबर को उसने बीजेपी कार्यकर्ताओं तथा ड्राइवर के लिए आयोजित प्रार्थना सभा में दोष लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को एक सड़क पर कब्जा करने दिया। एक समाचार पत्र के अनुसार उसने आरोप लगाते हुए कहा था कि उनमें से एक कार्यकर्ता श्याम सुंदर निषाद पुलिस के पास जिंदा था तथा एंबुलेंस में पहुंच गया था लेकिन उसे बाहर निकाला गया तथा उसकी हत्या कर दी गई। दोषी पुलिस कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा तथा सरकार उनके खिलाफ जाँच करेगी। सरकार ने जांचकर्ता एजेंसी को खुली छूट दे दी है। राज्य मंत्री द्वारा भी पुलिस की भूमिका को जांच के दायरे में रखा गया है।

इसी प्रकार, जैसा कि समाचारपत्रों में खुलासा हुआ कि हरि ओम मिश्रा की मृत्यु तथा पुलिस द्वारा दाखिल एफ आई आर में उसका आरोपी के रूप में नाम आना भी अशीष मिश्रा को गंभीर आरोपों से बचाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र होने तथा इसके पीछे के मंतव्य पर प्रश्न चिह्न लगाता है।

उप मुख्यमंत्री मौर्या को लेने के लिए भेजी गई एसयूवी की कहानी

2 अक्टूबर को जारी हुई संशोधित अधिसूचना सामने होने के बावजूद भी दोषी, मुख्यतः अजय मिश्रा टेनी तथा अशीष मिश्रा अपनी पुरानी कहानी जारी रखते हैं। वे बार-बार कहते हैं कि कारें दंगल कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे उपमुख्यमंत्री मौर्या को हैली पैड से लाने के लिए भेजी गई थी। अशीष मिश्रा मोनू जिसे कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना के बाद पहली दो कारों में से एक कार से निकल कर भागते हुए देखा था, टेलीफोन पर एक इंटरव्यू के दौरानउसके द्वारा दावा किया गया कि वह उस दोपहर दंगल कार्यक्रम में मौजूद था तथा उसकी कार कार्यक्रम में आमंत्रित'खास हस्तियों' को लेने के लिए भेजी गई थी। उक्त कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्रीमौर्या ने मुख्य अतिथि के रूप में आना था।

इसके अतिरिक्त,अजय मिश्रा टेनी ने भी अपने बेटे की कार की घटना स्थल पर मौजूदगी को सही ठहराने के लिए, 4 अक्तूबर की सुबह हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही तर्क दिया । उसने स्पष्ट कहा कि एसयूवी हेलीपैड मैदान से उप मुख्यमंत्री को लेने के लिए भेजी गई थी।

इस स्थिति में, जो प्रश्न पिता-पुत्र की जोड़ी से पूछे जाने की जरूरत है कि यदि उपमुख्यमंत्री की लखीमपुर खीरी हेलीकॉप्टर से आने की योजना ही नहीं थी तो वह यह दावा कैसे कर सकते हैं कि कारें उसे लेने के लिए भेजी गईं थीं?

कौन हैं अजय मिश्रा टैनी?

25 सितंबर, 2021 को, मोदी सरकार में नव-नियुक्त गृह राज्य मंत्र, अजय मिश्रा ने किसानों के काले झंडे दिखाकर किए गए प्रदर्शन के बाद सख्त चेतावनी जारी की, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उसने कहा, "मेरा सामना करो, मैं तुम्हें दो मिनट में सीधा कर दूंगा। अगर मैं अपनी गाड़ी से उतर जाता तो उन्हें (किसानों को दौड़ने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। लोग मेरी पृष्ठभूमि जानते हैं। मैं केवल एक मंत्री या सांसद या विधायक नहीं हूँ, जो लोग मुझे संसद में आने के पहले से जानते है, उन्हें पता है कि मैं चुनौतियों से कभी नहीं भागता। यदि मैंने उन्हें अपनी सही ताकत दिखाने का फैसला कर लिया, तो उन्हें गाँव ही नहीं, जिला भी छोडना पड़ेगा। इस टीम ने यह पता लगाने के लिए दस्तावेज और सबूत भी एकत्र किए है कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, जिसकी यह शेखी बघार रहा है।

टैनी महाराज के नाम से मशहूर अजय कुमार मिश्रा का जन्म और पालन-पोषण लखीमपुर जिले के निघासन तहसील के बनवीरपुर गांव में हुआ है। वह क्षेत्र के कृषि और गैर-कृषि योग्य जमीन के बड़े हिस्सों का मालिक हैं। चुनाव के समय उसके द्वारा दिए गए हलफनामे के अनुसार उसकी कुल संपत्ति 1939829381 रुपये और उसकी पत्नी की संपत्ति 4517162 रुपये है। उसकी कृषि,गैर-कृषि, व्यापारिक और गैर-व्यावसायिक संपत्ति का मूल्य 12000000 रुपये है, जबकि उसकी पत्नी की संपत्ति का मूल्य 9380000 रुपये है। गाँव के समुदाय में परिवार का हमेशा एक प्रभावशाली स्थान रहा है। उसके पिता अमबिका मिश्रा ग्राम प्रधान थे और उसने क्षेत्र में पहली चावल मिल की स्थापना की थी।

रिपोर्टों के मुताबिक, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि से सभी परिचित हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई नहीं बोल नहीं पाता है। चुनावी राजनीति में उसका असली प्रवेश एक हत्या के मामले में उसकी भागीदारी के साथ हुआ था। जिला पंचायत चुनाव-2000 के दौरान, समाजवादी पार्टी का एक युवा नेता प्रभात गुप्ता टैनी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। प्रभात के भाई राजीव गुप्ता ने आरोप लगाया कि जुलाई 2000 की शाम को टैनी और दो अन्य लोगों ने प्रभात की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जब वह अपनी दुकान पर जाने के लिए घर से निकल रहा था। उसे बहुत करीब से गोली मारी गई- एक कनपटी पर और एक उनको छाती और पेट के बीच और गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। राजीव गुप्ता ने टैनी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाई, लेकिन उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। जब राजीव गुप्ता ने उसकी गिरफ्तारी के लिए उच्च न्यायालय में अपील की, तो उसने मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन अनुरोध किया कि उसे अस्पताल भेजा जाए, क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब है। उसे अस्पताल भेज दिया गया और अगले दिन अदालत ने उसे जमानत दे दी। हत्या के मामले में मुख्य आरोपी होने के बावजूद उसने अभी तक एक भी दिन हवालात में नहीं बिताया। बाद में, उसे और केस में नामजद तीन अन्य को मार्च 2004 में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। आरोप है कि उस जज ने अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले बरी करने का आदेश दिया। इस फैसले के खिलाफ राजीव गुप्ता की अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित है।

महत्वपूर्ण यह है कि मामले के जाँच अधिकारी ने टैनी की उस ताकत के बारे में लिखा है जो क्षेत्र के तत्कालीन विधायक और भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोगों के साथ निकटता के कारण उसने प्राप्त की थी। उसने कहा कि गांव में कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि हर कोई उससे डरता था। जाँच अधिकारी ने आगे कहा कि उसके सूत्र के अनुसार, अजय मिश्रा नेपाल की सीमा पर तस्करी गतिविधियों में भी संलिप्त है और उसके परिवार ने काफी संपत्ति अर्जित कर ली है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, मामले की संवेदनशील प्रकृति के कारण, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपायी ने इस मामले की निष्पक्ष जांच को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन इसका भी कुछ परिणाम नहीं निकला।

टैनी की दंगों, हमलों और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता दिखाती बहुत सी उदाहरणहैं। ऐसे एक मामले में एफ.आई.आर. दर्ज भी हुई। लेकिन पुलिस ने इसकी पैरवाई या जांच नहीं की।" अन्य आरोपों में एक सिक्ख व्यक्ति का अपहरण करना, उसकी पिटाई करना और उसे गांव में नंगा करके खड़ा रखना शामिल है।" तिकोनीया के लोगोंका यह भी आरोप है कि मिश्रा परिवार खैर पेड़, जो उन दिनों में इस क्षेत्र में भरपूर पाया जाता था, चंदन की लकड़ी और अनाज की अवैध तस्करी से जुड़ा है। हाल ही के एक साक्षात्कार में उसने कहा कि पुलिस ने दुर्भावनावश उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि को खंगाला है, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकी क्योंकि वह निर्दोष है।

अजय मिश्रा की लोकप्रियता का एक और कारण "जनता दरबार" है, जिसे वह रोज अपने आवास पर लगाता हैं। सुबह सात बजे घर के दरवाजे खुल जाते है और लोग उसके पास संपत्ति, शादी और अन्य विवाद लेकर आते हैं। कुछ ने कहा कि वे खुश हैं कि उन्हें पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ता, क्योंकि टैनी उनकी बात सुनता है और फैसले सुनाता है। जिन्हें हर किसी को मानना पड़ता है। टैनी केंद्रीय मंत्री बन

गया, लेकिन दरबर चलता रहा। लेकिन टैनी की अनुपस्थिति में उसके बेटे आशीष ने इसकी अधयक्षता करना शुरू कर दिया।

अजय मिश्रा ने 2005 में जिला पंचायत चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 2009 में उसने निघासन निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन चौथे स्थान पर रहा। मिश्रा ने 2012 में सीट जीती और 2014 और 2019 में चुनाव लड़ा और खीरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद बना। जुलाई 2021 में हुए कैबिनेट विस्तार और फेरबदल में उसे गृह राज्य मंत्री बनाया गया।

आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और उसके बाद

तीन अक्टूबर की घटना के बाद से आशीष मिश्रा उर्फ मोनू और 15-20 अज्ञात व्यक्यिों के खिलाफ तिकोनिया थाने में एफआईआर 219/2021 दर्ज की गई थी। एफआईआर में कत्ल के लिए धारा 302, लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण मृत्यु हो जाने के लिए धारा 304-ऐ, आपराधिक साजिश के लिए 120 बी, दंगा करने के लिए 147, घातक हथियारों से हथियारबंद होकर दंगा करने के लिए 148, गैर-कानूनी सभा का सदस्य होने के लिए 149, लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए 279, बहुत तेज या लापरवाही से कोई कारवाई करने, जिससे मनुष्य के जीवन को खतरा पैदा होता हो, किसी व्यक्ति को गम्भीर चोट पहुँचाने के लिए 338 सहित अन्य दंडनीय प्रावधान शामिल है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि यह घटना अजय मिश्रा टैनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा की सुनियोजित साजिश थी। फिर भी पुलिस ने तत्काल किसी की गिरफ्तारी नहीं की।

छह अक्टूबर को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए जनहित याचिकाओं का संज्ञान लिया और मामले को एक बैंच द्वारा सुने जाने के लिए दर्ज कर लिया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल थे। सात अक्टूबर को पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश होने वाले ऐडवोकेट जनरल को उस समय तक की गई जांच की रिपोर्ट की ताजा स्थिति दाखिल करने को कहा। लेकिन उसी समयराज्य सरकार ने घोषणा कर दी कि यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग और एक विशेष जांच दल का गठन करेगी।"

सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से दाखिल की गई रिपोर्ट पर असंतोष जताया। सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने कहा कि उन्होंने आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन पीठ ने उनसे पूछा कि गिरफ्तार करने की बजाय उसे बुलाया क्यों जा रहा था।

एसआईटी द्वारा 12 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार उसे 9 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ दो अन्य आशीष पांडे और लवकुश को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसका 11 अक्टूबर को पुलिस द्वारा प्रथम रिमांड लिया गया तथा यह रिमांड 12 अक्टूबर से शुरू होक अक्टूबर तक कीथा। अक्टूबर 13 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे जमानत देने से इन्कार कर दिया। उसी दिन आशीष के दोस्त अंकित दास और अंकित के बॉडीगार्ड लतीफ और उसके ड्राइवर शेखर भारती को गिरफ्तार

कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आशीष मिश्रा घटना के दौरान अपने ठिकाने के बारे में विस्तार से नहीं बता पाया। गवाहों ने बताया कि वह समारोह से गायब था, जबकि उसने बयान किया था कि वह दोपहर 2 से 4 बजे के बीच दंगल में मौजूद था, लेकिन उसके फोन की स्थिति ने उसे अपराध स्थल के पास दिखाया था और उसके द्वारा एसयूवी के चालक बारे पेश विवरण, जिसने किसानों को कुचला था से मेल नहीं खाता था।

क्राइम ब्रांच द्वारा 18 अक्टूबर को सुमित जायसवाल, नंदन सिंह बिष्ट, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और शिशुपाल को गिरफ्तार किया गया। सुमित जायसवाल विरोधी एफआईआर का शिकायतकर्ता भी है, जो अक्टूबर 4 को अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि ये तीन कारें कुश्ती मैच के लिए मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या को लेने के लिए जा रही थी। विरोध कर रहे किसानों ने वाहनों को रोका और उन पर हमला कर दिया। सत्य प्रकाश के पास से एक लाइसेंसी रिवाल्वर बरामद किया गया ।" हिंदुस्तान टाइम्स ने बाद में बताया कि आशीष मिश्रा, अंकिता और लतीफ के पास से एक राइफल, एक रपीटर गन और एक पिस्तोल बरामद किया गया था।" अक्टूबर 23 को मोहित त्रिवेदी, रंकू राणा, धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया गया था।" एमओएस अजय मिश्रा टैनी को अभी तक न एफआईआर की धारा 120-बी के तहत अभियुक्त बनाया गया न ही उससे पूछताछ की गई।

आशीष मिश्रा को गिरफ्तारी के दो सप्ताह बाद 24 अक्टूबर को जिला जेल से एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था क्योंकि कथित तौर पर उसमें डेंगू के लक्षण दिखाई दे रहे थे। हालांकि अभी तक डेंगू की रिपोर्ट नहीं आई थी। बाद में उसके स्वास्थ्य में सुधार के कारण उसे 26 अक्टूबर को वापिस जेल भेज दिया गया। जेल अधीक्षक ने बताया कि अब जेल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

अदालत ने 15 नवंबर को फिर से उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। आशीष के वकील न की दलील थी कि वह तिकुनिया बनवीरपुर रोड पर अपराध स्थल पर कभी मौजूद नहीं था, क्योंकि वह अपने गांव में दंगल कार्यक्रम में भाग ले रहा था।

शीर्ष अदालत ने 20 अक्टूबर को राज्य सरकार से कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि पुलिस जाँच से अपना पल्ला झाड़ रही है। कोर्ट ने सरकार के वकील से पूछा कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत सिर्फ 4 गवाहों के ब्यान ही क्यों दर्ज किए गए थे जबकि कुल 44 गवाह मौजूद थे। उन्होंने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से यह भी पूछा कि जब पीठ ने उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा तो एक सीलबंद लिफा में बना स्थिति रिपोर्ट क्यों जमा की गई।

ध्यान देने योग्य है कि अक्टूबर 15 को, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसे राज्य सरकार द्वारा स्थापित एसआईटी में विश्वास नहीं है, क्योंकि उसमें कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नहीं है। शीर्ष अदालत ने सरकार से यूपी कैडर के उन आईपीएस अधिकारियों के नाम देने को कहा, जो वहां के निवासी नहीं हो। उन्होंने यह भी कहा कि वह एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश को मनोनीत करेंगे जो जाच का निरीक्षण करेगा। नवंबर 17 को उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायधीश न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया और साथ में श्री शिरोडकर, श्री दीपिंदर सिंह और पद्माजा चौहान, ये तीन पुलिस अफसर पुणर्गठित की गई एसआईटी में होंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "यह अदालत उस घटना की निष्पक्ष, स्वच्छ, न्यायिक और गहन जांच की गारंटी देने के लिए चिंतित है,

जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारियों और कुछ अन्य लोगों के जीवन का इतना दुखद अंत हुआ है। इससे पहले हमने अब तक हुई जाँच की धीमी गति, प्रक्रिया और परिणाम पर असंतोष जताया है और मसले की जाँच की जिम्मेदारी वाली एसआईटी ककी सरंचना को भी अस्वीकार कर दिया है। ऐसे अपराधों की जाँच करते हुए सिर्फ इन्साफ दिया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि इन्साफ किया गया दिखाई भी देना चाहिए और समझ भी आना चाहिए। इसलिए, हम न्यायपालिका के फौजदारी प्रशासन में लोगों के भरोसे और विश्वास को कायम रखने के लिए इसके बाद हम एसआईटी का पुनर्गठन करना उचित समझते हैं।"

फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कई चश्मदीदों से मुलाकात की जिन्होंने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने बयान भी दर्ज किए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि थार जीप में आशीष मिश्रा मोनू मौजूद था। जब एक से अधिक लोगों से पूछा गया कि जीप द्वारा किसानों को कुचलने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या सुना, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना, "मोनू ने कुचल दिए" और "टैनी के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी।"

एक अन्य चश्मदीद ने आरोप लगाया कि मंत्री के बेटे आशीष ने गाड़ी के पलट जाने के बाद भागने की कोशिश की। वह सड़क पार कर गया और पुलिसकर्मियों के एक समूह ने उसे आश्रय दिया और गन्ने के खेतों में बचकर भाग जाने में उसकी मदद की। उन्होंने यह भी कहा कि मोनू के पास हथियार था और वह किसानों को दूर रखने के लिए लगातार हवा में फायरिंग कर रहा था।

टीम को यह भी पता चला कि अक्टूबर 24 को करवा चौथ त्यौहार के दौरान मोनू को उसके परिवार के साथ मिलने की सुविधा देने के लिए उसे अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था। स्थानीय लोगों ने निजाम को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने के लिए मिश्रा परिवार के भारी प्रभाव और क्षमता के बारे में बताया।

मृत किसानों के परिवारों से मिलना

टीम ने रमन कश्यप, लवप्रीत सिंह, नछत्तर सिंह, दलजीत सिंह और गुरविंदर सिंह के परिवारों से मुलाकात की।

रमन कश्यप

साधना न्यूज के लिए काम करता था। वह करीब पांच महीने पहले ही साधना न्यूज से जुड़ा था, लेकिन उसके परिवार को नियुक्ति का कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला था।

रमन की पत्नी ने घटना वाले दिन को याद किया, उस दिन वह किसान प्रदर्शन की रिपोर्ट लेने तकरीबन एक बजे घर से गया था। उन्हें घटना और हत्याओं के बारे में टीवी न्यूज से पता चला और उन्होंने रमन को मोबाइल पर फोन करना शुरू कर दिया। जब उसने जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने उसके दोस्तों के नंबरों पर कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। रमन का भाई पवन नैनीताल में था। जब उसे शाम करीब पांच बजे वाट्सएप संदेशों के जरिए घटना की जानकारी मिली और उसने अपने भाई को फोन किया लेकिन उसका फोन बंद था। उसने अपने पिता को फोन किया और फिर जानकारी के लिए अनुरोध करते हुए रमन की एक तस्वीर व्हाट्सएप पर पोस्ट की।वह उसी रात वापस गाँव आ गया और परिवार ने रमन

की तलाश शुरू कर दी। 4 अक्टूबर की सुबह तीन बजे उसे फोन आया और एसएचओ ने उन्हें मोर्चरी में आने को कहा।

उन्होंने रमन के शव की पहचान की। उसका शरीर बुरी तरह से खरोंचा हुआ था, जैसे कि उसे एक खुरदरे तल पर घसीटा गया हो। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके सिर में चोट और खून के ताजा निशान थे। परिवार ने महसूस किया कि उसे चिकित्सा मिली ही नहीं, उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था, और अस्पताल ले जाने के बजाय, पुलिस ने उसे मुर्दाघर भेज दिया।

परिवार ने टीम को बताया कि जब पोस्टमॉर्टम समाप्त हो गया और परिवार द्वारा शव को बरामद कर लिया गया, तो उन्हें यह कहने के लिए संदेश मिलने लगे कि रमन को कार से कुचला नहीं गया था, बल्कि किसानों द्वारा प्रताडित किया गया था। रमन के पिता ने ऐसा करने से मना कर दिया। परिवार को कई संदेश मिले और वे जबरदस्त दबाव में थे। फिर भी वह झुके नहीं। पिता ने कहा, "मैं कैसे झूठ बोल सकता था, जबकि मैंने अपने बेटे के शरीर को अपनी आखों से देखा था, साफ दिख रहा था कि उसे टायरों के नीचे कुचला गया था।" दबाव के चलते परिवार काफी तनाव में था। परिवार के घर पर हमसे बात करने वाले कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार, उन्हें बड़ी रकम को पेशकश भी की गई थी।

घटना के कुछ दिन बाद, भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं की मौत के विरोध में कुछ हिंदुत्व समूहों ने शहर में मार्च निकाला। यह दिखाने की कोशिश में कि इतने ही हिन्दुओं को किसानों ने मारा था उन्होंने रमन की तस्वीर उठाई हुई थी। हालांकि, रमन के परिवार ने उन्हें अपने बेटे की तस्वीर का इस्तेमाल करने से रोक दिया था। उन्होंने यह बात जोर देकर कहीं कि रमन भी एक किसान था जिसे अजय मिश्रा परिवार की एक कार ने कुचल दिया।

रमन के पिता एक छोटे किसान हैं और अन्य सभी छोटे किसानों की तरह उस पर करीब 4 लाख रुपये का कर्ज है। "ऐसा कोई किसान नहीं है जो कर्ज में न हो." पिता उदासीन था।

लवप्रीत सिंह

, जिसके परिवार से हम घटना के करीब 25 दिन बाद मिलेमिले, परिवार अब तकसदमे में था। उसका पिता सतनाम सिंह चुपचाप बैठा था। बस, कभी-कभार सिर हिलाने लगता था। शायद उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं था कि उसकी दुनिया उलट-पलट गई है। हमें पता चला कि लवप्रीत सिंह उनका इकलौता बेटा था और वे उसे विदेश भेजने की उम्मीद में थे। उसकी माँ गमगीन थी। परिवार ने कहा, "अगर उसे इलाके में समय पर चिकित्सा सहायता मिल जाती तो वह बच सकता था। उसके दोस्त उसे निघासन तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गए थे, जहां वह जीवित था, लेकिन असहनीय पीड़ा में था." लखीमपुर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई, जो कि दो घन्टे के फासले पर था।

बातचीत में आगे उसके दादा ने हमें बताया कि बेमौसम बारिश से उनको धान की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। राज्य सरकार ने उन्हें 2500 रुपये प्रति एकड के हिसाब से मुआवजा देने की घोषणा की है। इससे उन्हें उनके चार एकड़ खेत के लिए 10,000 रुपये मिलने थे। इससे खेत से सड़ चुकी फसल को साफ कराने के लिए मजदूरी भी पूरी नहीं पढ़ेगी। जब उन्होंने छोटे किसान की दुर्दशा का वर्णन किया, तो हमने उसके घर पर लगे किसान यूनियन के झंडे को देखा।

नछत्तर सिंह

एक और छोटा किसान, उस जगह के लिए निकला था जहाँ किसान विरोध करने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। दिल्ली न जा सकने का अफसोस जाहिर करते हुए उसने अपनी पत्नी से कहा था, "कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं।" क्योंकि परिवार में वह अकेला ही किसानी का काम संभालता था। जब परिवार ने सुना कि वह घायल हो गया है और उसे लखीमपुर अस्पताल ले जाया गया, तो वे सीधे अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें उसका शव मिला। जब उसे अस्पताल लाया गया, उस समय वह जीवित था, लेकिन कोई इलाज नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। जब उन्होंने उसे अस्पताल में देखा तो उसके सिर पर कोई दूसरी पगड़ी थी। किसी ने उसका सिर ढक रखा था। जब कार ने उसे जोर से टक्कर मारी, वह हवा में उड़ गया था। उसकी पगड़ी उतर गई थी। उसके बेटे को दो दिन बाद घटनास्थल पर पगड़ी एक पेड़ पर लटकी मिली।

परिवार ने बताया कि उनके पास भाजपा को छोड़ कर सारी राजनितिक पार्टियों व यूपी और पंजाब के नेता आए। उन्होंने अपने मुस्लिम पडोसियो से मिले समर्थन को तसलीम किया और सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ सांप्रदायिक बयानबाजी पर अफसोस जताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गाँव में वे सभी किसान हैं- चाहे वे सिख हो या मुसलमान और वे सब मिलजुलकर रहते हैं।

दलजीत सिंह

किसान आंदोलन का समर्थक था और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित स्थानीय स्तर की बैठकों में भाग लेता रहता था। वह गाजीपुर बॉर्डर पर भी गया था। वह एक सीमांत किसान था जिसके पास लगभग 2 एकड़ जमीन है, बाकी वह खेती के लिए ठेके पर जमीन लेता था। उसका परिवार मूल रूप से पश्चिमी पंजाब के लायलपुर का रहने वाला था। 1947 के विभाजन के बाद ये पहले करनाल आए और बाद में मुरादाबाद से तराई तक अपने घर बदलते हुए इस क्षेत्र में बस गए। उसका 14 साल का बेटा गाव के स्कूल में पड़ता है और बेटी लखनऊ में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। उसके भाई जगजीत सिंह ने टीम को बताया कि इस क्षेत्र में कोई मंडी नहीं है और किसान 1100 से 1300 प्रति क्विंटल के बीच धान बेचने को मजबूर है जबकि एमएमपी 1900 से अधिक है। किसान जबरदस्त दबाव में हैं और इसीलिए आन्दोलन को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जगजीत सिंह ने बताया, "तराई क्षेत्र के पंजाबी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन गैर-पंजाबी किसान भी पूरे दिल से आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। तीन अक्टूबर को पंजाबी किसानों को 5 से अधिक मोटरसाइकिलें नहीं थीं, लेकिन गैर-पंजाबी स्थानीय किसानों की 200 से अधिक मोटरसाइकिलें थीं, जो डिप्टी सीएम के दौरे पर विरोध करने के लिए तिकुनिया गए थे।" विरोध प्रदर्शन में दलजीत सिंह का बेटा भी उनके साथ था। जब हत्यारे वाहन के टायरों ने उसे कुचला तो उसके बेटे ने अपने पिता को दम तोड़ते देखा। दलजीत सिंह के घर के बाहरी कमरों पर पुलिस बल का कब्जा था। वे कथित तौर पर परिवार को सुरक्षा देने के लिए वहां थे, लेकिन से परिवार से मिलने आने वालों पर नजर रख रहे थे। तथ्य खोज टीम की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई जब उन्होंने उन्हें रोकने को कोशिश की और अनावश्यक सवाल किए।

गुरविंदर सिंह,

18 वर्षीय नरम स्वभाव का एक युवक, नवी नगर मोहरनिया, नानपारा में मुख्य परिवार के घर से करीब 600 मीटर दूर एक छोटी सी कुटिया में रहता था। वह ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन गम्भीर स्वभाव का विचारशील व्यक्ति था और किसान आंदोलन के साथ उसकी गहरी सहानुभूति थी। उसके दादा 1973 में इस क्षेत्र में आए और इस गांव में 8 एकड़ जमीन खरीदी। यहाँ यह एकमात्र पंजाबी परिवार हैं। परिवार ने बताया कि युवा गुरविंदर अत्यधिक अध्यात्मिक प्रवृत्ति का था लेकिन मंत्री अजय मिश्रा (टैनी) के ब्यान कि वह 2 मिनट में किसानों को सीधा कर देगा से गुरविन्द्र बहुत आहत हुआ। इसलिए उसने धरने पर जाने का फैसला किया। जब कार ने उन्हें टक्कर मारी उस समय गुरविंदर सिंह तेजिंदर सिंह विर्क के साथ चल रहा था। समुदाय के कई सदस्यों ने फैक्ट फाइटिंग टीम को बताया कि गुरविंदर ने मोनू मिश्रा पर काबू पाने को कोशिश की और उसके सिर में गोली लगी हो सकती हैजो मोनू ने अपने हथियार से चलाई थी। तस्वीरों में उसके सिर में गहरा घाव दिखाई दे रहा था, जबकि एफएसएल की रिपोर्ट में अधिकारिक तौर पर कहा गया है कि उसके(मोनू) हथियार से गोलियां चलाई गई थीं, लेकिन गुरविंदर के दो पोस्टमार्टम से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि सिर में हुआ जख्म गोली से हुआ जख्म था।

विशेष जांच दल (एसआईटी) का बयान

एसआईटी ने 14 दिसंबर, 2021 को सत्र अदालत के समक्ष कहा कि लखीमपुर खीरी में हिंसा लापरवाही का कार्य नहीं था, बल्कि प्रदर्शनकारियों को मारने की एक पूर्व नियोजित साजिश का परिणाम था। एसआईटी ने सत्र अदालत के समक्ष यह भी कहा कि आशीष मिश्रा और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर में लागू धाराओं को संशोधित किया जाए। इसमें धारा 307 (हत्या का प्रयास), 326 (खतरनाक हथियार से चोट पहुँचाना), 34 (सामान्य इरादे को आगे बढाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य), और 3/25 आर्म्स एक्ट को शामिल करने के लिए कहा गया, जबकि 304 ए (गैर इरादतन हत्या), 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), और 338 (गम्भीर चोट पहुँचाना) धाराओं को हटाने का निवेदन किया गया। एसआईटी ने आईपीसी की धारा 302(हत्या), 147 (दंगा) 148(जानलेवा हत्यारों के साथ दंगा करना) 149(गैरकानूनी सभा का सदस्य होने के लिए)तथा 120बी(आपराधिक षड्यंत्र) बनाएं रखी गई।

फैक्ट फाइंडिंग टीम का निष्कर्ष और माँग

1. अजय मिश्रा टेनी का अतीत और वर्तमान सत्ता में उसे प्राप्त अथाह ताकत, जाँच को प्रभावित करने, तथ्यों को अपने पक्ष में तोड़ने-मरोड़ने, उसके और उसकी पार्टी के पक्ष में उपजाऊ जमीन मुहैया करवाते हैं।

2. एक निष्पक्ष जाँच के लिए, अजय मिश्रा को उसके मंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए और उसके खिलाफ 120 सीआरपीसी की शिकायत पर कारवाई की जानी चाहिए।

3. पुलिस की भूमिका निंदनीय पाई गई। पुलिस ने अपराधियों का साथ दिया, उसके प्रवेश और अपराध को अंजाम देने के बाद वहाँ से भागने, उसके झूठ, उसके कवर अप में मदद की गई है।

4. राज्य की दण्ड-मुक्ति को एक उचित प्रक्रिया के माध्यम से चुनौती दी जानी चाहिए, जिसके लिए महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच हो। ऐसा करने के लिए अजय मिश्रा को उसके पद से हटाया जाना चाहिए।

5. पारिवारिक साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि जीर्ण-शीर्ण राज्य के बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं की कीमत पर ढेरों जाने चली गई। यदि क्षेत्र में उचित अस्पताल सुविधाएँ उपलब्ध होतीं, तो कम से कम कुछ और लोगों की जान बचाई जा सकती थी। क्षेत्र में ऐसी सुविधाओं को विकसित करने की जिम्मेदारी स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि की होती है, लेकिन अजय मिश्रा टैनी अपनी भूमिका निभाने में बुरी तरह विफल रहा है।

6. इलाके में दहशत का माहौल है। राज्य को सभी गवाहों की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और उन्हें बिना किसी डर के गवाही देने की अनुमति देनी चाहिए।

7. इंटरनेट बंद करने की प्रथा, जिसका वर्तमान शासन बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रहा है, को समाप्त किया जाना चाहिए। यह पीडितों को खामोश करने का काम करता है और अपराधियों को सार्वजनिक रूप से अपने अनुकूल अपना आख्यान निर्मित करने की अनुमति देता है। इस प्रथा को चुनौती दी जानी चाहिए।

8. धारा 144 का मनमाने ढंग से इस्तेमाल और अपराधियों के लाभ के लिए लोगों, प्रेस और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपराध स्थल पर पहुँचने से रोके जाने को चुनौती दी जानी चाहिए।

9. भीड नियंत्रण प्रोटोकॉल में कहा गया है कि पुलिस प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने और घायलों को चिकित्सा उपचार के लिए ले जाने के कुशल तरीके का प्रबंध करे। पुलिस समय पर इलाज उपलब्ध कराने में विफल रही।

10. घटना के एक दिन पहले ही डिप्टी सीएम के बानवीरपुर में होने वाले कार्यक्रम के रद्द होने की जानकारी थी। इसे किसानों से दूर रखकर पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने इलाके में तनाव पैदा करने में अपना योगदान दिया।

11. किसानों द्वारा सौंपे गए भाजपा कार्यकर्ताओं में से एक श्याम सुंदर निषाद पुलिस के पास जीवित था और एक एम्बुलेंस तक पहुँच गया था। बाद में उसे मृत पाया गया। पुलिस उसकी मौत की व्याख्या कैसे करती है? अजय मिश्रा टैनी ने सार्वजनिक रूप से गवाही दी कि श्याम सुंदर निषाद एम्बुलेंस से उतारकर पुलिस हिरासत में मारा गया, यह गहन जांच की माँग करता है।

12. यहाँ तक कि टैनी के ड्राइवर ओम प्रकाश की मौत की भी गहन जांच की माँग की जाती है, क्योंकि उसकी मौत से आशीष मिश्रा को फायदा हुआ है।

13. निर्दोष किसानों, जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें रिहा किया जाए।